भारत सरकार

सूक्ष्म,लघु औरमध्यमउद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 900

उत्तार देने की तारीख 21.11.2019

''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम''

900. श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डीः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने एमएसएमई की बेहतरी हेतु 2 नवंबर, 2018 को प्रधनमंत्री रोजगार सृजनकार्यक्रम (पीएमईजीपी) की शुरुआत की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमईजीपी के उद्देश्यों को और आगेबढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैंऔर क्या इस दिशा में किन्हीं नई योजनाओं की घोषणा की गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमईजीपी में कार्यान्वियन से देश में राज्य-वार और विशेषतः उड़ीसा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सृजित कुल रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के तहत लोगों को प्रदत्त सहायताका ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यक्रम हेतु बजटीय आवंटन और अबतक व्यय की गई धनराशि की मात्रा का राज्य/संघराज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) कृषि और ग्रामीण उद्योग के विकासहेतु सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं और उक्तकार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले गांवों की संभावित संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और

(छ) गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के तहत रोजगार करनेवाले अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय वर्ष 2008 से देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। यह स्कीम सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, चयनित निजी क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जी रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बैंक ऋण प्रदान करते हैं और केवीआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25.00 लाख रू. और सेवा क्षेत्र में 10.00 लाख रू. है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 से एमएसएमई मंत्रालय ने विद्यमान पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए दूसरी वित्तीय सहायता प्रदान करके पीएमईजीपी के अंतर्गत एक नया घटक भी आरंभ किया गया है। इस घटक के अंतर्गत, 15 % की सब्सिडी के साथ (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य के लिए 20%) विनिर्माण इकाई के लिए 1.00 करोड़ रू. तक ऋण तथा सेवा/व्यापार इकाई के लिए 25.00 लाख रू. तक ऋण लिया जा सकता है।

(ग): ओडिशा और सभी अन्य राज्यों में पीएमईजीपी के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित सृजित रोजगार की कुल संख्या अनुबंध-में दी गई है।

(घ): यह स्कीम एक क्रेडिट संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बैंकों से ऋण और निम्नलिखित श्रेणीबद्ध रूप में केवीआईसी से 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकता है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थी का स्वयं का अंशदान (परियोजना लागत पर)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत पर)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं/पूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन/पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि सहित)	05%	25%	35%

(ङ): पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (15.11.2019 तक) में कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन (मार्जिन मनी सब्सिडी) और प्रयुक्त निधि की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	**बजटीय आबंटन** (मार्जिन मनी सब्सिडी) (करोड़ रू. में)	**संवितरित मार्जिन मनी** (करोड़ रू. में)
2017-18	1004.49	1312.40
2018-19	2068.80	2070.00
2019-20 (15.11.2019 की स्थिति के अनुसार)	2247.10	873.99

(च): यह स्कीम कृषि आधारित फसल कटाई बाद (पोस्ट हार्वेस्टिंग) तथा अन्य ग्रामीण उद्योग के लिए लागू है। इन कार्यकलापों के विकास के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं

- पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी में पारदर्शिता और शीघ्र संवितरित लाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने वित्तपोषण बैंक शाखाओं को सीधे ऑनलाइन मार्जिन मनी संवितरण आरंभ किया है।
- पीएमईजीपी के अंतर्गत ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है जिसमें वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंक औपचारिकताएं, बुक कीपिंग तथा सफल ग्रामीण उद्यमियों,बैंकों के साथ संवाद और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से अभिमुखीकरण जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों से संबंधित अभिमुखीकरण और जागरूकता शामिल हैं।
- दिनांक 22.10.2019 से एक ईडीपी ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल और मोबाइल एप भी डिजाइन, विकसित किया गया है और उसे लाईव बनाया गया है।
- पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन और कृषि से संबंधित कार्यकलापों को कवर किया जाता है।
- प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षुओं को आरंभिक समस्याओं के निवारण, ऋण की स्वीकृति के लिए पथ प्रदर्शन सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाइयां जमीनी स्तर परठीक से चल रही हैं।
- आवश्यक पथ-प्रदर्शन और मॉनीटरिंग सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी, एमएसएमई-डीआई और टूल रूमों का साथ।
- सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम के प्रचार के उद्देश्य सेसभी स्तरों पर जागरूकता कैम्पों, कार्यशालाओं, बैंकरों की बैठकें और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।
- सभी इकाइयों की जियो-टैगिंग प्रक्रियाधीन है।

पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत ग्राम-वार लक्ष्यनिर्धारित नहीं किएजाते हैं। तथापि, सभी गांवों को स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है और गांवों में नई इकाई स्थापित की जा सकती है। मंत्रालय प्रत्येक जिले को आबंटित न्यूनतम 75 परियोजनाओं के साथ राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित करता है।

(छ): पिछले प्रत्येक दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं की संख्या जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, उनका राज्य-वार ब्योरा**अनुबंध -II** में दिया गया है।

******

अनुबंध-I

दिनांक 21.11.2019 को उत्तंर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्नत संख्या 900 के भाग (ग) के उत्त्र में उल्लिखित अनुबंध

पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक (15.11.2019 की स्थिति के अनुसार) राज्य -वार कुल रोज

क्र.सं .	राज्य केन्द्र/शासित प्रदेश	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (15.11.2019 की स्थिति के अनुसार)
1.	जम्मू और कश्मीर	11691	30024	60232	18480
2.	हिमाचल प्रदेश	6916	7088	11192	5640
3.	पंजाब	9858	12160	14408	6784
4.	केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	376	360	224	72
5.	हरियाणा	11016	13744	17320	7136
6.	दिल्ली	952	920	1056	376
7.	राजस्थान	13408	12616	18872	9520
8.	उत्तराखंड	9890	12904	17448	5640
9.	उत्तर प्रदेश	36315	43456	41944	19200
10.	छत्तीसगढ़	12856	11704	24752	9056
11.	मध्य प्रदेश	15520	14432	20208	5888
12.	सिक्किम	201	296	440	264
13.	अरुणाचल प्रदेश	1984	1672	2240	896
14.	नागालैंड	7783	7440	9664	2024
15.	मणिपुर	8419	4800	10328	2728
16.	मिजोरम	3400	1992	8984	2152
17.	त्रिपुरा	17961	8928	9432	1888
18.	मेघालय	2632	600	3120	1080
19.	असम	31498	18256	29896	7376
20.	बिहार	25872	18456	26424	6488
21.	पश्चिम बंगाल	26604	10928	19304	8864
22.	झारखंड	10400	8888	14376	4112
23.	**ओडिशा**	**20392**	**19192**	**24560**	**7080**
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1398	1744	1832	232
25.	गुजरात	11629	15008	28000	19808
26.	महाराष्ट्र	17799	26632	45136	17704
27.	गोवा	660	400	624	344
28.	आंध्र प्रदेश	14148	12216	17760	8888
29.	तेलंगाना	6445	9520	16408	8480
30.	कर्नाटक	30286	16920	29256	14344
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	केरल	13068	10776	19888	8664
33.	तमिलनाडु	25764	32760	41480	18288
34.	पुडुचेरी	699	352	608	280
	कुल योग	407840	387184	587416	224136

अनुबंध-II

दिनांक 21.11.2019 को उत्तदर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 900 के भाग (छ) के उत्त में उल्लिखित अनुब

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (15.11.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पीएमईजीपी के तहत अ.जा./अ.ज.जा.

महिला श्रेणियों के अंतर्गत सृजित रोजगारों की संख्या

(संख्या व्यक्तियों में)

पीएमईजीपीके अंतर्गत सृजित रोजगार													
क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20 (15.11.2019की स्थिति के अनुसार)		
		अ.जा.	अ.जा.ज.	महिलाएं	अ.जा.	अ.जा.ज.	महिलाएं	अ.जा.	अ.जा.ज.	महिलाएं	अ.जा.	अ.जा.ज.	महिलाएं
I. उत्तर क्षेत्र													
1	जम्मू और कश्मीर	419	853	3007	1400	1840	9504	1816	4520	19592	14528	36160	156736
2	हिमाचल प्रदेश	2423	1076	1341	2288	928	2424	3216	1096	4224	25728	8768	33792
3	पंजाब	2435	273	3506	3920	64	4640	4200	8	5624	33600	64	44992
4	केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	57	0	114	80	0	144	48	0	104	384	0	832
5	हरियाणा	1907		1909	2864	24	3376	3512	0	4376	28096	0	35008
6	दिल्ली	152	0	336	144	8	344	128	0	432	1024	0	3456
7	राजस्थान	2102	725	2834	1632	1192	2696	2000	1776	4192	16000	14208	33536
	कुल- I	9495	2927	13047	12328	4056	23128	14920	7400	38544	119360	59200	308352
II. केन्द्रीय क्षेत्र												0	0
8	उत्तराखंड	3197	666	2176	2752	512	2616	3080	496	3992	24640	3968	31936
9	उत्तर प्रदेश	4637	871	9685	5624	128	11936	5584	64	11464	44672	512	91712
10	छत्तीसगढ़	1538	1395	2798	1384	1168	2616	2632	2704	5808	21056	21632	46464
11	मध्य प्रदेश	1360	776	3392	944	680	4144	1440	1144	5904	11520	9152	47232
	कुल -II	10732	3708	18051	10704	2488	21312	12736	4408	27168	101888	35264	217344
III. पूर्वोत्त्र क्षेत्र												0	0
12	सिक्किम	3	32	27	24	120	120	40	216	216	320	1728	1728
13	अरुणाचल प्रदेश	0	1984	760	8	1664	688	8	2216	792	64	17728	6336
14	नागालैंड	0	7783	1539	40	7392	3416	32	9632	4280	256	77056	34240
15	मणिपुर	168	3101	1784	168	1528	1896	352	4816	4264	2816	38528	34112
16	मिजोरम	0	3400	1280	0	1992	1072	16	8936	4336	128	71488	34688
17	त्रिपुरा	3469	2390	3531	1192	1704	2088	1328	1640	1984	10624	13120	15872
18	मेघालय	40	1992	1136	0	584	248	16	2696	1008	128	21568	8064
19	असम	3160	6135	6702	1896	4448	4648	2360	5912	7992	18880	47296	63936
	कुल- III	6840	26817	16759	3328	19432	14176	4152	36064	24872	33216	288512	198976

IV. पूर्व क्षेत्र												0	0
20	बिहार	3256	464	7320	2872	432	5176	2744	544	6888	21952	4352	55104
21	पश्चिम बंगाल	3155	265	5993	1608	360	3248	2624	224	6480	20992	1792	51840
22	झारखंड	1259	1104	2336	672	752	1720	1360	1280	3424	10880	10240	27392
23	ओडिशा	3564	1363	6594	3272	1184	6216	3152	1208	9480	25216	9664	75840
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	63	143	0	96	304	0	144	408	0	1152	3264
	कुल -IV	11234	3259	22386	8424	2824	16664	9880	3400	26680	79040	27200	213440
V.पश्चिम क्षेत्र												0	0
25	गुजरात	1441	1353	4827	1560	1456	8136	2120	1112	19056	16960	8896	152448
26	महाराष्ट्र	3004	317	6093	5392	904	8632	9208	1464	15720	73664	11712	125760
27	गोवा	0	6	309	0	32	152	24	24	240	192	192	1920
	कुल -V	4445	1676	11229	6952	2392	16920	11352	2600	35016	90816	20800	280128
VI. दक्षिण क्षेत्र												0	0
28	आंध्र प्रदेश	1439	42	7525	2032	304	5752	2720	616	8808	21760	4928	70464
29	तेलंगाना	451	416	1836	912	984	2960	2096	1512	5344	16768	12096	42752
30	कर्नाटक	4477	1039	6882	3264	912	4640	5464	1632	8688	43712	13056	69504
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	केरल	1485	176	4455	1056	168	4200	1808	208	8416	14464	1664	67328
33	तमिलनाडु	2853	64	9534	3824	192	15432	4256	592	19704	34048	4736	157632
34	पुडुचेरी	110	0	200	56	0	168	80	16	232	640	128	1856
कुल -VI		10815	1737	30432	11144	2560	33152	16424	4576	51192	131392	36608	409536
कुल योग		53561	40124	111904	52880	33752	125352	69464	58448	203472	555712	467584	1627776